

21/10

पञ्जावली आज उच्च कोर्ट छावसरी में पेचर्री
 पञ्जावली का व्यानपूर्वक आवलोकन किया गया।
 राजस्व रिपोर्ट के अनुसार 1971 छावसरी के
 मुक्ति क्र. नं. 1212/937, 1213/937 क्रि. - 2
 कुल रक्क 2.3200 है के वही एवं परिवारीगत
 1. 1971 पर मुक्ति रिपोर्ट खासेदार दर्ज रिपोर्ट है।
 उक्त वार्डित मुक्ति सयुक्त खासेदारी मुक्ति है।
 तथा मुक्ति का विधिवत विभाजन नहीं है रखा
 है चारा 53 के प्रावधान अनुसार वही एवं परिवारी-
 गतीगत राजस्व रिपोर्ट में दर्ज है। तथा अनुसार
 व 53 का अनुसार मुक्ति का विभाजन कलकत्ते
 का आवेदारी है।

आदेश

वार्ड पर लीकुर किया जाता है तथा उड़ी
 रक आशय ही ही जाती है कि 1971 छावसरी की सरहद
 में विषय मुक्ति क्र. नं. 1212/937, 1213/937 क्रि. - 2
 कुल रक्क 2.3200 है का वही एवं परिवारी सं. 1. 1971 पर
 मुक्ति के मध्य राजस्व रिपोर्ट में दर्ज है। एवं चारा
 के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते उद्ये विधिवत
 विभाजन किया जाने का आदेश दिया जाता है। तद-
 नुसार तदधीनदार उदयप्रवाही उद्ययपक्षकारान
 ही उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा
 मय नमूना के दो प्रतियों में - मामलय एका में
 प्रस्तुत करें। उड़ी पर्या जा रही है।

निर्णय आज उच्च कोर्ट 21-10-8 की उच्च कोर्ट छावसरी
 में सुनाया गया। पञ्जावली केवल मुक्ति कोर्ट नमूना व
 है तथा दायरे 6 परत को।